कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 2318/ FP/UK/OTHERS/21599/2016 :देहरादूनःदिनांकः 02 ~~फरवरी~~ मार्च, 2020

सेवा में,

1– जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी, नैनीताल।

2– प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

विषय– जनपद–नैनीताल के अन्तर्गत शहीद मोहननाथ गोस्वामी मेमोरियल मनी स्टेडियम लालकुआं के निर्माण हेतु 4.9962 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः–वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी का पत्रांक–1384/12–1 दिनांक 24–02–2020,

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। प्रेषित प्रस्ताव का कार्यालय द्वारा परीक्षण किया गया परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में कतिपय कमियां पाई गयी गई है, जिनका विवरण निम्नानुसार हैं :–

1. वनाधिकार अधिनियम–2006 से सम्बन्धित संलग्न प्रमाण–पत्रों में जिला स्तरीय समिति के दो प्रमाण–पत्र विभिन्न तिथियों के संलग्न किये गये हैं, स्थिति स्पष्ट करें। (पृष्ठ सं0–44 व पृष्ठ सं0–46)
2. लाभान्वित होने वाले ग्रामों का उल्लेख वनाधिकार अधिनियम–2006 से सम्बन्धित प्रमाण–पत्रों में नही किया गया है व नही वनाधिकार अधिनियम–2006 से सम्बन्धित प्रमाण–पत्रों में उल्लिखित ग्राम पंचायत का नाम लाभान्वित होने वाले ग्रामों में सम्मिलित किया गया है। स्थिति स्पष्ट करें।
3. क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दस वर्षीय योजना वर्तमान दारों के अनुसार संलग्न करें।
4. प्रस्तावित क्षेत्र शिवालिक ऐलीफैन्ट रिजर्व के अन्तर्गत प्रस्तावित है, इस सम्बन्ध में मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्ताव में संलग्न करें।
5. प्रस्तावित परियोजना का ले–आउट प्लान/मानचित्र प्रस्ताव में संलग्न करें।
6. परियोजना में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या अत्यधिक है, इसे न्यूनतम तक सीमित करें।
7. प्रस्ताव दो प्रतियों में प्रेषित किया गया है, प्रस्ताव की एक अतिरिक्त प्रति उपलब्ध करायी जानी है।

अतः उपरोक्त कमियों का निराकरण हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय से वापस प्राप्त कर लेवें एंव पूर्ण प्रस्ताव सम्बन्धित प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

29/2/20

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या– / FP/UK/OTHERS/21599/2016 दिनांकित।

प्रतिलिपि वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी